भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1507
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर मॉड्यूल के लिए एएलएमएम</u>

1507. श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान सौर मॉड्यूलों के लिए मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के समुचित कार्यान्वयन में कतिपय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सौर सेलों के लिए सौर मॉड्यूलों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एएलएमएम के समान कोई नीति लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या भारत के बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र को मंच प्रदान करने की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए मॉडलों एवं विनिर्माताओं (एएलएमएम) की अनुमोदित सूची पहली बार दिनांक 10.03.2021 को जारी की गई थी। सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए एएलएमएम के संबंध में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, देश में स्थापित सरकारी परियोजनाओं/सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं/ओपन एक्सेस/नेट-मीटरिंग परियोजनाओं में उपयोग के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और उसके संशोधन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत सरकार को विद्युत की बिक्री के लिए स्थापित परियोजनाएं सहित सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए केवल एएलएमएम सूची में शामिल मॉडल और निर्माता ही पात्र हैं, जब तक कि ऐसी परियोजनाओं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश के माध्यम से एएलएमएम से छूट नहीं दी जाती है। एमएनआरई के दिनांक 10.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए एएलएमएम सूची को एक वित्त वर्ष (2023-24) तक स्थगित रखा गया था, लेकिन यह 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हुई है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। दिनांक 07.09.2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम (मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची) के कार्यान्वयन हेतु एएलएमएम आदेश में संशोधन का मसौदा जारी किया गया था और हितधारकों से दिनांक 21.10.2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। यह मामला एमएनआरई में जांच के अधीन है।

(ङ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य अक्षय ऊर्जा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां ला रहा है। अन्य के साथ की गई विभिन्न पहलें अनुलग्नक में दी गई हैं।

(च) और (छ): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2030 तक 336.40 गीगावाट घंटे ऊर्जा भंडारण आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से 208.25 गीगावाट और पंप्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) से 128.15 गीगावाट घंटे ऊर्जा शामिल है।

सरकार ने देश में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने जून, 2021 में वार्षिक रूप से 50 गीगावाट घंटे की क्षमता की एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरियों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरूआत की। कुल क्षमता में से 10 गीगावाट घंटे ग्रिड स्तर के स्थिर भंडारण अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2022 में वर्ष 2029-30 तक के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण बाध्यता (ईएसओ) ट्रजेक्ट्री जारी की। बाध्य संस्थाओं का ईएसओ वित्त वर्ष 2023-24 में 1.0 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर वित्त वर्ष 2029-30 तक 4 प्रतिशत होगा।

(iii) हाइड्रो पीएसपी के लिए 25 वर्षों की अवधि हेतु और बीईएसएस के लिए 12 वर्षों की अवधि हेतु आईएसटीएस शुल्कों में छूट, बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करें।

(iv) देश में प्रौद्योगिकी-स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास और तैनाती के लिए 'ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा' जारी की गई है।

(v) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक 4,000 मेगावाट घंटे की बीईएसएस परियोजनाओं के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को स्वीकृति दी है, जिसमें वीजीएफ के रूप में बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत की 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता शामिल है।

(vi) विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2023 में पंप्ड भण्डारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

<u>अनुलग्नक</u>

'सौर मॉड्यूल के लिए एएलएमएम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1507 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए किए गए प्रयासों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाः भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। यह योजना दो ट्रांश में लागू की जा रही है। ट्रांश-I में 4,500 करोड़ रु. का परिव्यय है, जिसके तहत 8,737 मेगावाट की पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं। 19,500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ ट्रांश-II के लिए, पूरी तरह से/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की 39,600 मेगावाट की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख एवं ग, और पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, इसमें स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयताः उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश' के अनुसार, एमएनआरई ने आरई क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) को अधिसूचित किया था, जो अन्य के साथ-साथ, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान करता है जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है और यह अनिवार्यता है कि केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होगा, इस अनिवार्यता के साथ कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iv) सौर पीवी कोशिकाओं और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क लगानाः सरकार ने दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) सीमा शुल्क रियायतों को बंद करनाः एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क रियायत प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

(vi) पवन क्षेत्र में घरेलू विनिर्माणः एमएनआरई ने 'मॉडल और निर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम)' के तहत प्रकार और गुणवत्ता प्रमाणित पवन टर्बाइनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया भी लागू की है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि हब और नेसेल

असेंबली/विनिर्माण सुविधा भारत में होनी चाहिए। भारत में 14 अलग-अलग कंपनियों द्वारा पवन टर्बाइनों के लगभग 31 अलग-अलग मॉडल बनाए जा रहे हैं। देश में पवन टरबाइनों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 18,000 मेगावाट है।

(vii) अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कुशल और किफायती तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)" लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश में ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों, बायोगैस प्रणालियों, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, हाइब्रिड प्रणालियों, भंडारण प्रणालियों, हाइड्रोजन और ईंधन सेलों, भूतापीय आदि जैसे नई और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करना है। यह सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक और उद्योग, स्टार्टअप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****